न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र सख्या 32 / 2025

विजय कुमार विजय पुत्र श्री रामगोपाल विजय, आयु 52 साल, निवासी 42 पलटन बाजार अजमेर जिला अजमेर राजस्थान

– **प्रार्थी / सुपुर्दगीगार**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, अजमेर

–अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार
2. श्री खिया सिंह रावत अभिभाषक प्रार्थी

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497 / 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

–:आदेशः–

दिनांक 19.11.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी / सुपुर्दगीदार विजय कुमार विजय पुत्र श्री रामगोपाल विजय, आयु 52 साल निवासी 42 पलटन बाजार अजमेर राजस्थान द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497 / 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते वाहन केटा संख्या RJ 45 CM 3087 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का वाहन को जिला रसद अधिकारी अजमेर ने 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थी का वाहन जब्त कर परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी का केटा संख्या RJ 45 CM 3087 जिला रसद अधिकारी अजमेर ने अपराध अन्तर्गत धारा 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किसी प्रकार से लिप्त नहीं है ना ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। प्रार्थी उपरोक्त वाहन का एक मात्र पंजीकृत स्वामी चला आ रहा है। उपरोक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है तथा अब किसी भी प्रकार की बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं है। पुलिस को उपरोक्त वाहन की अब कोई आवश्यकता नहीं है तथा उक्त वाहन थाने पर देख रेख के अभाव में क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। उपरोक्त वाहन प्रार्थी का दैनिक रोजमर्रा का आवश्यक साधन है जिसके अभाव में प्रार्थी को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी को वाहन केटा संख्या RJ 45 CM 3087 को सुपुर्दगीनामें पर लौटाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर टिप्पणी हेतु जिला रसद अधिकारी अजमेर को लिखा गया। टिप्पणी प्राप्त होने पर सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि वकील प्रार्थी / प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर के समक्ष वास्ते जब्तशुदा वाहन संख्या RJ 45 CM 3087 को सुपुर्दगी पर छुड़वाने बाबत् दायर किया हुआ है जिसके सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा इस न्यायालय से टिप्पणी तलब की गई है जो पत्रांक

जिला कलक्टर अजमेर

कअ/कले.कोर्ट/2025/4937 दिनांक 16.10.2025 से इस आशय की टिप्पणी भिजवाई कि ''प्रकरण संख्या 69/2025 बउनवान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी नसीराबाद बनाम श्री मुकेश पुत्र जगदीश व अन्य अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय अजमेर द्वारा प्रस्तुत करने पर दिनांक 10.10.2025 को दर्ज हुआ हैं। वर्तमान में उक्त प्रकरण हाजा न्यायालय में विचाराधीन है।'' जिसके जवाब में वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाहन को छुड़वाने के सम्बन्ध में पूर्व में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे दिनांक 11.11.2025 को नोटप्रेस कर लिया तथा अब उक्त प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य न्यायालय में वाहन छुड़वाने का प्रार्थना पत्र लम्बित नहीं हैं। अतः उक्त प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड रखकर प्रार्थी का वाहन छोड़ने के आदेश पारित करने की कृपा करे। तत्पश्चात् सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया गया कि जिला रसद अधिकारी (प्रथम) अजमेर के निर्देशनुसार नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर मय प्रवर्तन दल जिसमें रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी, अतुल बडाया प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक सम्मिलित थे। सराणा गांव के पास स्थित मौके पर पहुँचे। मौके पर उक्त स्थान पर थाना गांधीनगर, किशनगढ के उपनिरीक्षक श्री रामसिंह उपस्थित मिले। श्री रामसिंह से प्राप्त तहरीर एवं जानकारी के अनुसार दिनांक 30.09.2025 समय करीब 2.45 पर जिला स्पेशल टीम की सूचना पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुये सराणा गांव के पास चार दिवारी युक्त बाडा श्री गजराज पुत्र श्री उगमाराम व श्री मुकेश पुत्र जगदीश निवासी बेड़ा की ढाणीतन सराणा पर पहुँचा जहां पर अवैध रूप से वाहन तेल का ट्रेक्टर टेंकर बडी टंकियों में स्टॉक, टैंकर वाहन व अन्य साधन मिले। मौके पर जिला रसद कार्यालय दल के पहुँचने पर परिसर चार दिवारी से घिरा बाडनुमा बहुत बडा आकार में था जिसमें एक तरफ टिन की चादरों की छत के नीचे एक 5000 लीटर क्षमता वाला टेंकर खडा था जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ भरा था। यह टैंक बिना केबिन के था अर्थात इसे यहां संग्रहण के उद्देश्य से ही रखा गया। इस टैंकर के पीछे एक टोटेलाइजर जिसके एक नोजल जुडा था। मौके पर टोटेलाइजर पर 257682 रीडिंग आ रही थी। टैंकर की टोटेलाइजर मशीन से एक लंबे काले प्लास्टिक पाईप द्वारा नोजल भी जुडा था। टिन रोड वाले परिसर में ही टैंकर के पास सफेद रंग के प्लास्टिक के बडे ड्रम सग्रहण के उद्देश्य से रखे हुये पाये। ये ड्रम 2500 लीटर क्षमता के सात एवं 2000 लीटर क्षमता के 5 ड्रम है अर्थात कुल 12 ड्रम रखे हुए पाये गये। मौके पर परिसर में 20–20 लीटर के 02 एवं 10 लीटर का 01 अप्रमाणिक माप भी रखा हुआ मिला चार दिवारी से घिरे इस परिसर का मालिक श्री मुकेश पुत्र श्री जगदीश ने बताया गया, के बाहर गुजरात नम्बर जीजे 12 बीटी 6555 का 29000 लीटर क्षमता का ट्रक खडा पाया गया। ट्रक में 26,000 लीटर डीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। प्लास्टिक के सफेद ड्रम खाली थे किन्तु इनमें पेट्रोलियम पदार्थ की गंध आना इस बात को दर्शाता है कि इनमें भी पेट्रोलियम पदार्थ का संग्रहण किया जाता है। मौके पर टैंकर के पास एक Monoset Pump रखा पाया गया जो दो मुँह वाला था, एक मुँह पर दो इंची व्यास का एवं दूसरे मुँह पर डेढ इंची क्षमता का हरे रंग का पाई 10–10 मीटर लम्बाई वाला, लगा हुआ था

कार्यालय जिला कलक्टर अजमेर

जिनका प्रयोग पेट्रोलियम पदार्थ को टैंकर से ड्रमों में खाली करने के लिये किया जाता है। मौके पर विजय कुमार की केटा संख्या RJ 45 CM 3087 है यहाँ स्थापित होने पर इस स्थान पर पट्रोलियम पदार्थ का अवैध रूप से करोबार लंबे समय से बडे स्तर पर बिना किसी अनुज्ञा पत्र, सुरक्षा व्यवस्था के किया जा रहा है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है पुलिस ने बताया की विजय कुमार विजयवर्गीय की केटा संख्या RJ 45 CM 3087 इस अवैध व्यापार से संलिप्त होने के कारण जब्ती की गई। इस प्रकार प्रार्थी का उक्त कृत्य MS and HSDC regulation of supply distribution & prevention of malpractices order 2005 की धारा 2(r) 4,5,6 का उल्लंघन है जो EC Act 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा केटा संख्या RJ 45 CM 3087 को राजसात फरमावे।

दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के निस्तारण में समय लगेगा इस दौरान वाहन खराब हो जावेगा जबकि पिछले काफी समय से वाहन के खड़े रहने से डेमेज हो गया है एवं वाहन का पेट्रोलियम पदार्थ से कोई लेना-देना नहीं है इसलिये वाहन के समुचित रख रखाव के लिए उपरोक्त वाहन केटा संख्या RJ 45 CM 3087 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ा जाने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिला रसद अधिकारी (प्रथम) अजमेर के निर्देशानुसार नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर मय प्रवर्तन दल जिसमें रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी, अतुल बडाया प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक सम्मिलित थे। सराणा गांव के पास स्थित मौके पर पहुँचे। मौके पर उक्त स्थान पर थाना गांधीनगर, किशनगढ के उपनिरीक्षक श्री रामसिंह उपस्थित मिले। श्री रामसिंह से प्राप्त तहरीर एवं जानकारी के अनुसार दिनांक 30.09.2025 समय करीब 2.45 पर जिला स्पेशल टीम की सूचना पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुये सराणा गांव के पास चार दिवारी युक्त बाड़ा श्री गजराज पुत्र श्री उगमाराम व श्री मुकेश पुत्र जगदीश निवासी बेडा की ढाणी तन सराणा पर पहुँचा जहां पर अवैध रूप से वाहन तेल का ट्रेक्टर टैंकर बड़ी टंकियों में स्टॉक, टैंकर वाहन व अन्य साधन मिले। मौके पर जिला रसद कार्यालय दल के पहुँचने पर परिसर चार दिवारी से घिरा बाडनुमा बहुत बडा आकार में था जिसमें एक तरफ टिन की चादरों की छत के नीचे एक 5000 लीटर क्षमता वाला टैंकर खड़ा था जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ भरा था। यह टैंक बिना केबिन के था अर्थात इसे यहां संग्रहण के उद्देश्य से ही रखा गया। इस टैंकर के पीछे एक टोटेलाइजर जिसके एक नोजल जुडा था। मौके पर टोटेलाइजर पर 257682 रीडिंग आ रही थी। टैंकर की टोटेलाइजर मशीन से एक लंबे काले प्लास्टिक पाईप द्वारा नोजल भी जुडा था। टिन रोड वाले परिसर में ही टैंकर के पास सफेद रंग के प्लास्टिक के बडे ड्रम संग्रहण के उद्देश्य से रखे हुये पाये। ये ड्रम 2500 लीटर क्षमता के सात एवं 2000 लीटर क्षमता के 5 ड्रम है अर्थात कुल 12 ड्रम रखे हुए पाये गये। मौके पर परिसर में 20-20 लीटर के 02 एवं 10 लीटर का 01 अप्रमाणिक माप भी रखा हुआ मिला चार दिवारी से घिरे इस परिसर का मालिक श्री मुकेश पुत्र श्री जगदीश ने बताया गया, के बाहर गुजरात नम्बर जीजे 12 बीटी 6555

का 29000 लीटर क्षमता का ट्रक खडा पाया गया। ट्रक में 26,000 लीटर डीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। प्लास्टिक के सफेद ड्रम खाली थे किन्तु इनमें पेट्रोलियम पदार्थ की गंध आना इस बात को दर्शाता है कि इनमें भी पेट्रोलियम पदार्थ का संग्रहण किया जाता है। मौके पर टैंकर के पास एक Monoset Pump रखा पाया गया जो दो मुँह वाला था, एक मुँह पर दो इंची व्यास का एवं दूसरे मुँह पर डेढ इंची क्षमता का हरे रंग का पाई 10–10 मीटर लम्बाई वाला लगा हुआ था जिनका प्रयोग पेट्रोलियम पदार्थ को टैंकर से ड्रमों में खाली करने के लिये किया जाता है। मौके पर विजय कुमार की केटा संख्या RJ 45 CM 3087 है यहॉ स्थापित होने पर इस स्थान पर पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध रूप से करोबार लंबे समय से बडे स्तर पर बिना किसी अनुज्ञा पत्र, सुरक्षा व्यवस्था के किया जा रहा है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है पुलिस ने बताया की विजय कुमार विजयवर्गीय की केटा संख्या RJ 45 CM 3087 इस अवैध व्यापार से संलिप्त होने के कारण जब्ती की गई। इस प्रकार प्रार्थी का उक्त कृत्य MS and HSDC regulation of supply distribution & prevention of malpractices order 2005 की धारा 2(r) 4,5,6 का उल्लंघन है जो EC Act 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत दण्डनीय अपराध है प्रार्थी ने केटा संख्या RJ 45 CM 3087 को उसे सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। अतः जब्तशुदा उपरोक्त वाहन केटा संख्या RJ 45 CM 3087 के प्रथम दृष्टया पैट्रोलियम पदार्थ के अवैध करोबार में लिप्त होने के फलस्वरूप रूपये 50,000/–अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति राशि आरोपित की जाती है। जिला रसद अधिकारी अजमेर को आदेशित किया जाता हैं कि सम्बन्धित वाहन मालिक द्वारा शास्ति राशि अदा करने पर जब्त किए गये उपरोक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं होने पर स्वामित्व बाबत् सन्तुष्ट होने पश्चात् सम्बन्धित को सुपुर्द कर दिया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.11.2025 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर